

कार्यालय उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, त0 केराकत, जनपद-जौनपुर

पत्रांक- ७०३०/६१७

दिनांक: १९/०४/२०२३

सी जे वाई एजुकेशनल संस्थान ग्राम व पोस्ट-अमिहित, तहसील-केराकत, जौनपुर के प्रार्थना पत्र पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के आख्या के आधार पर मौजा-अमिहित, परगना व तहसील-केराकत, जौनपुर अ0नं0/रकबा 837/1.714 हे0, भूमि भू-अभिलेख में सी जे वाई एजुकेशनल संस्थान ग्राम व पोस्ट-अमिहित, तहसील-केराकत, जौनपुर के नाम अंकित है तथा श्रीमान् उपजिलाधिकारी तहसील-केराकत, जौनपुर द्वारा वाद संख्या T202014360504484 दिनांक 24.03.2021 धारा 80 अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है।

उक्त अ0नं0 पर कालेज का भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः उक्त अ0नं0 का भू-प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।

